

कृपया सचिव,
कोटा विश्वविद्यालय
कोटा ।

विषय- रात्र 2004-05 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने कावत

महोदय,

उपरोक्त विषय-सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन एवं संस्था के द्वारा प्रस्तुत नोटिशी पत्रिका द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्देशानुसार नवीन महाविद्यालयों के लिए रात्र 2004-05 में प्रारम्भ करने हेतु निर्धारित शर्तों पर 2004-05 के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है -


क्र. सं.	सोसायटि ट्रस्ट/ संस्था का नाम	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	संकाय/विषय
1.	इंस्टीट्यूट आफ प्रोग्रेसिव पीपुल्स समिति, सवाईगंधीपुर-97	टैगोर महाविद्यालय, बौली, सवाईगंधीपुर	स्नातक स्तर- कला संकाय- अनिवार्य विषयों सहित, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, उर्दू, लोक प्रशासन, गृह विज्ञान स्नातक स्तर विज्ञान संकाय- अनिवार्य विषय सहित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित

- राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से 6 माह की अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप महाविद्यालय संचालन हेतु निर्माण करना लेंगे / व्यवस्था करना लेंगे एवं तदनुसार कालेज शिक्षा विभाग को सूचित कर इसका निरीक्षण करवा लेंगे ।
- यदि संस्था निर्धारित समयवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप भवन का निर्माण / व्यवस्था नहीं कर पाती है, तो राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द हो जायेगा एवं संस्था को इस निर्माण के निरूद्ध विरामी रूप में न्यायालय में चुनौती देने का अधिकारी नहीं होगा ।
- संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शरतकावत पालना करनी होगी ।
- अस्थाई परिहार में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाह्न की कक्षाओं चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है । इसी प्रकार अगले वर्षों में चलानी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है ।
- शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे ।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी ।
- राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
- आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
- ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है ।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षकों) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कालेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा ।
- संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संस्था शीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 6 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 6 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एन्डोमेंट ससि जमा करनी होगी ।
- उपरोक्त शर्तों को पालना नहीं करने पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये गये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

अनुमोदित
3/7
अनुमोदित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूतनार्थ एवं आगश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

1. उप सचिव (जे), माओमुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, माओ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शारान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधीनारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलेक्टर, रावार्डमण्डोपुर ।
8. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय ।
9. निजी सचिव, आयुक्ता, कलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कलेक्टर शाखा, आयुक्तालय, कलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. सम्बन्धित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
12. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्ता-निदेशक (अनुदा)
कलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर